बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आ0सं0–भवन / स्था0–01–विविध–944 / 2012.......................पटना, दिनांक...........................

–:आदेश:–

श्री अवध किशोर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन निरुपण अंचल स0–1, पटना के द्वारा भवन प्रमंडल, औरंगाबाद के पूर्व के पदस्थापन अवधि के दौरान बरती गई स्वेच्छाचारिता एवं अधीनस्थ पदाधिकारी / कर्मियों का वेतन भुगतान लम्बित रखे जाने तथा आपसी समन्वय के अभाव के कारण भवन प्रमंडल, औरंगाबाद में कार्य संस्कृति दूषित करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना स0–9981–सह पठित ज्ञापांक–9982 दिनांक–07.10.2016 द्वारा इन्हें लिखित चेतावनी का दंड संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरुद्व श्री किशोर ने पत्रांक–605 दिनांक–31.10.2016 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री किशोर के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य अंकित नहीं है। साथ ही श्री किशोर ने पत्रांक–185 दिनांक–08.03.2017 द्वारा बिहार राज्य मुकदमा निति, 2011 के तहत गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित किया है, जिसमें दिनांक–20.06.2017 को आहूत बैठक में विभागीय तथ्यों पर सहमति प्रकट करते हुए श्री किशोर के अभ्यावेदन को निष्पादित किया गया है।

अतएव सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार श्री अवध किशोर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन निरुपण अंचल स0–1, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–605 दिनांक–31.10.2016 द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

(रवि शंकर चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:– **पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:– **पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:– 10237 (अ) **पटना, दिनांक–** 17.11.17

प्रतिलिपि:– मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त सचिव / अपर सचिव / उप सचिव / सभी अवर सचिव / अभियंता प्रमुख / सभी मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल गया / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल औरंगाबाद / प्रशाखा पदाधिकारी निगरानी / श्री अवध किशोर, कार्यपालक अभियंता, भवन निरुपण अंचल स0–1, भवन निर्माण विभाग, पटना / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।